बोर्ड से राशि उपलब्ध कराई गयी है एवं किस तिथि को संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को राशि भेजी गई है तथा कब तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा करघा आपूर्ति कर दिया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने उपस्थित सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को बताया कि 25 अक्टूबर 2017 तक निश्चित रूप से करघा क्रय कर बोर्ड को सूचित करें अन्यथा राशि विभाग को वापस हो जाने के परिस्थिति में बोर्ड द्वारा राशि उपलब्ध करना संभव नहीं होगां

बैठक में संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया कि कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के संबंध में लगाई गई 50 नग चरखा की अधिकतम सीमा को हटाकर उपलब्ध कराई गई त्रिपुरारि मॉडल चरखा पर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाय। खादी संस्थाओं द्वारा बैठक में यह विषय उठाया गया कि पूर्व की भाँति कुल बिक्री पर रिवेट दिया जाय। बिहार में उत्पादित माल की बिक्री की गणना करने में संस्थाओं को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उन्हें हानी उठाना भी पड़ रहा है। बैठक में सभी खादी संस्थाओं से अनुरोध किया गया कि बिहार उत्पादित माल की बिक्री की ऑकड़ा शीघ्र दिया जाय।

अंत में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/10/17
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2910/139 **पटना, दिनांक–** 17/10/2017

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

16/10/17
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2910/139 **पटना, दिनांक–** 17/10/2017

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी (खादी)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खा0पुर्न0यो0)/सहायक (खा0पुर्न0यो0)/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/17
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

दिनांक–06.10.2017 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के अध्यक्षता में खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत करघा आपूर्ति किये गये संस्थाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

बिहार अवस्थित कुल 26 संस्था / समितियों को खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल पॉच चरखा पर एक करघा क्रय किये जाने हेतु करघा की कुल कीमत का 50% राशि उपलब्ध कराई गई है।
बैठक में उपस्थित संस्था / समिति के अध्यक्ष / मंत्री एवं प्रतिनिधि से करघा क्रय किये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, जो निम्न प्रकार है –

	निम्नलिखित संस्था / समिति द्वारा करघा क्रय कर ली गई है :–		करघा की सं0
1.	नरसिंहपुर खादी केन्द्रित रचनात्मक स0 स0 लि0, खादी सदन, पोस्ट–नरसिंहपुर, मुजफ्फरपुर	–	04
2.	ग्राम निर्माण समिति, कतरपुर, नालन्दा	–	05
3.	सर्वोदय आश्रम, बलवापुर, नालन्दा	–	05
4.	मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, मुजफ्फरपुर	–	10
5.	सरसोंपाही पोली वस्त्र उत्पादक ग्रामो0 स0 स0 लि0, मधुबनी	–	04

निम्नलिखित संस्था / समितियों के द्वारा समर्पित 10 दिन के अन्दर करघा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति करने की बात कही गई है–

1.	भगवानपुर ग्रामोदय स0 स0 लि0, सुगौना, मधुबनी	–	10
2.	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, सुगौना, राजनगर, जिला–मधुबनी	–	16
3.	रोसड़ा अनुमंडलीय ग्रामोद्योग विकास मंडल, रोसड़ा, मधुबनी	–	03
4.	नव बिहार कल्याण प्रतिष्ठान केन्द्र पावापुरी, नालन्दा	–	03
5.	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर	–	10
6.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा	–	04

132

7. ग्राम निर्माण मंडल, गया — 20

8. स्वदेशी कंबल आश्रम, — 03
गुड़ की मंडी, अरफाबाद, पटना

अनुपस्थित संस्था / समितियों का नाम –

1. भरौल ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, — 04
ग्राम –भरौल, पो0–कोठिया, भाया–झंझारपुर बाजार, मधुबनी

2. मकरन्दा भण्डारिसौं ग्रामोदय स0 स0 लि0, — 10
मनीगाछी, जिला–दरभंगा

3. उग्र नारायण खादी ग्रामोदय आश्रम, — 05
मकरन्दा मनीगाछी, दरभंगा

4. तिसिऔता ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, — 03
प्र0 का0–सिढ़ीघाट, पो0–हाजीपुर, जिला–वैशाली

5. रेशम खादी उद्योग संघ, — 16
उर्दू बाजार, रेकाबगंज, भागलपुर

6. नाजिर अली एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर डेवलपमेन्ट सोसाईटी, — 02
लोहना रोड, मधुबनी

7. राम प्रकाश खादी एवं ग्रामोद्योग सेवा आश्रम, — 05
ग्राम+पो0–बसैन, जिला–मधुबनी

8. डूमरा खादी ग्रामोद्योग संघ, — 02
ग्राम+पो0–डूमरा, जिला–मधुबनी

9. लक्ष्मीनगर ग्रामोद्य सहयोग समिति लि0, — 05
मधुबनी

10. आदित्यडीह खादी ग्रामोद्योग बुनकर विकास संघ, — 02
जिला–मधुबनी

11. मोकामा ग्राम स्वराज्य समिति, — 03
औटा, पो0–मोकामा घाट, जिला–पटना

12. विकास समिति प्रभावती, — 03
जिला–जमुई

13. ग्रामीण विकास संस्थान, — 03
ग्राम+पो0–रामपुर, सरसोंपाही, जिला–मधुबनी

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अनुपस्थित संस्था / समितियों को पत्र दें कि करघा क्रय के संबंध में जानकारी शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, जिसमें उल्लेख किया जाय कि किस तिथि को करघा क्रय हेतु